

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 'सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 मार्च 2021 — फाल्गुन 15, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 मार्च 2021

क्रमांक 3503/डी. 35/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25-02-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.
- धारा 133-क का संशोधन. 2. मूल अधिनियम की धारा 133-क में,-
- (क) उप-धारा (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह “।” के स्थान पर, कोलन चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जाये; और
- (ख) उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
- “परन्तु यह कि राज्य शासन, समय-समय पर, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, कुछ या सभी स्थावर संपत्ति के अंतरण को, आंशिक या पूरी तरह से, अस्थायी या स्थायी रूप से, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, इस उप-धारा में अंतर्विष्ट प्रावधान में छूट दे सकेगा.”
- धारा 293 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 293 की उप-धारा (1) की खण्ड (iv) के उप-खण्ड (आ) में,-
- (क) शब्द “एक वर्ष” के स्थान पर, शब्द “दो वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये; और
- (ख) शब्द “से एक वर्ष की समाप्ति” का लोप किया जाये.
- धारा 300 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम में,-
- (क) धारा 300 के शीर्षक तथा अंतर्वस्तु में, शब्द “एक वर्ष” जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द “दो वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये; और
- (ख) धारा 300 में, शब्द “दो वर्ष” के स्थान पर, शब्द “चार वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये.
- धारा 308-क का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 308-क की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
- “(3) इस धारा में इसके विपरीत किसी बात के रहते हुए भी, राज्य शासन, मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् व्यापक जनहित में, ऐसे कारणों से, जिन्हें लिखित में दर्ज किया जायेगा, निगम की अनुशंसा पर, किसी विशेष प्रकरण में, आंशिक या पूर्ण रूप से, इस धारा के अधीन अपराधों के शमन पर देय शुल्क में छूट प्रदान कर सकेगा :

स्पष्टीकरण-1 : इस धारा के प्रयोजन के लिये, शब्द ‘व्यापक जनहित में’ का आशय केवल निम्नलिखित तक सीमित होगा :-

- (क) ऐसे विद्यापीठ और संस्थायें, जो विगत कम से कम पांच वर्षों से शिक्षा, जिसमें वंचित व्यक्तियों की आजीविका को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल है, के क्षेत्र में सक्रिय हो, तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और/या केन्द्रीय या राज्य शासन से अनुदान प्राप्त हो;
- (ख) ऐसे अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, जो केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तथा मूल रूप से गरीबों और वंचित लोगों को धर्मार्थ सेवा प्रदान करती हो;
- (ग) धार्मिक और सेवाभावी संस्थायें, जो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हों, परंतु इस धारा के अंतर्गत उनका अपराध ऐसे भवनों के निर्माण से संबंधित हो, जो आवासीय या व्यावसायिक न हो;
- (घ) ऐसी संस्थायें, जो केन्द्रीय तथा/ या राज्य शासन द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त हो, तथा जो विगत कम से कम पांच या इससे अधिक वर्षों से सक्रिय हो, जो अनाथाश्रम, शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों, परित्यक्त महिलायें या वरिष्ठ नागरिकों हेतु आश्रम का संचालन करती हो.

स्पष्टीकरण-2 : उपरोक्त प्रावधान, ऐसे किसी प्रकरण पर भी लागू हो सकेगा, जो इस प्रावधान के प्रभावशील होने की तिथि में लंबित हो."

अटल नगर, दिनांक 6 मार्च 2021

क्रमांक 3503/डी. 35/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 6-3-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 4 of 2021)

CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2020. | Short title and commencement. |
| | (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | In Section 133-A of the Principal Act,- | Amendment of Section 133-A. |
| | (a) In sub-section (1), for the punctuation full-stop “.”, the punctuation colon “:” shall be substituted; and | |
| | (b) After sub-section (1), the following shall be added, namely:- | |
| | “Provided that the State Government may, from time to time, by Notification in the Official Gazette, exempt the transfer of some or all immovable properties, partly or fully, temporarily or permanently, from the provision contained in this sub-section, subject to such conditions as it may specify in the Notification.” | |
| 3. | In sub-clause (b) of Clause (iv) of sub-section (1) of Section 293 of the Principal Act, - | Amendment of Section 293. |
| | (a) For the words “one year”, the words “two years” shall be substituted; and | |
| | (b) For the words “the expiry of” shall be omitted. | |
| 4. | In the Principal Act,- | Amendment of Section 300. |
| | (i) In the title and content of Section 300, for the words “one year”, wherever they occur, the words “two years” shall be substituted; and | |
| | (ii) In Section 300, for the words “two years”, the words “four years” shall be substituted. | |
| 5. | After sub-section (2) of Section 308-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:- | Amendment of Section 308-A. |
| | “(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section, the State Government may, after obtaining approval of the Council of Ministers, in larger public interest, for reasons to be recorded in writing, on the recommendation of the Corporation, exempt, in part or whole, the fees for compounding of offences under this Section, in any particular case: | |

Explanation -1 : For the purpose of this Section, the term 'Larger public interest' is restricted to the following :-

- (a) Institutes or organizations active in the field of education including training for skills- development for promotion of livelihood of the underprivileged, for at least five preceding years, and which receive grants from the University Grants Commission and/or the Central or State Government(s);
- (b) Hospitals and healthcare centres which are recognized by the Central or State Government, and primarily render charitable services to the poor and underprivileged;
- (c) Religious and charitable organizations active in the field of social service, provided their offences under this Section relate to construction of buildings other than residential or commercial;
- (d) Institutions, duly recognized by the Central and/or State Government(s), that run orphanages, facilities for physically or mentally challenged persons, destitute homes for women or senior citizens, and have been active for a period of preceding five years or more.

Explanation -2 : The above provision shall also apply in any of such cases as may be pending on the date this provision comes into force."